न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 68/2014
पंजीयन दिनांक 22.08.2014

(1). हीरा पिता नोला जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ। मृतक के बजाय–

1/1. नन्दा पिता हीरा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

1/2. शम्भू पिता हीरा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

1/3. बालूलाल पिता हीरा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

1/4. कैलाश पिता हीरा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). नारायण पिता छोगा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

(2). जानी पत्नी छोगा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

(3). भैरू पिता कालू जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

(4). रतना पिता कालू जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

(5). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 44/2010 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण

(2). रतनलाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

(3). राकेशपुरी गोस्वामी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांक 16.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 698, 701, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1100, 1101, 1102 कुल किता 13 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हक व हिस्सा व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का 1/3 हक व हिस्सा निहित होकर संयुक्त खातेदारी मे राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के निहित 1/3 हिस्से को पृथक किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 ,3 स्वयं उपस्थित हुए। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनांक 26.08.2010 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए जिनकी ओर से जवाब पेश नहीं करना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे नारायण की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.03.2011 को पत्रावली मे साक्ष्य वादी बन्द की गई व एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 16.03.2011 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार गंगरार को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। तहसीलदार गंगरार द्वारा फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । दिनांक 31.10.2022 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गंगरार से प्राप्त फर्द बंटवाड़े के अनुसार उभय पक्षकारान के मध्य उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का

...न किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 की ओर से उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सभी पक्षकारान उनके निहित हक हिस्से अनुसार आपसी विभाजन कर रखा है व उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तदनुसार बंटवाड़ा करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 17.07.2010 को अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हीरा का सम्मन नोटिस जारी किया जिस पर दिनांक 27.07.2010 की हीरा से तामील नहीं करवाकर अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया व उसी के आधार पर तामील मानकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.07.2010 को ही अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हीरा के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अन्य रेस्पोडेन्टगण की तामील मानते हुए प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जाकर दिनांक 16.03.2011 को अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हीरा के विरूद्ध एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की, जिसकी अनुपालना मे कमिश्नर से फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर दिनांक 31.10.2012 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण के प्रतिवादी संख्या 1 हीरा को बिना सुने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है साथ ही अपीलांट्गण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पूर्व मे ही आपसी बंटवाड़ा कर पृथक से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था, फिर भी कमिश्नर ने पूर्व मे हुए बंटवाड़े को नजर अंदाज कर अपीलांट्गण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हीरा की अनुपस्थिति मे पटवारी हल्का से बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही फर्द बंटवाड़ा तैयार कराया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया व उसी फर्द बंटवाड़े से रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण को सहमत होना मानते हुए फर्द बंटवाड़े अनुसार ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया है। तहसीलदार गंगरार कमिश्नर ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया है ,उक्त फर्द बंटवाड़ा विधिपूर्वक नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाडा जो सक्षम अधिकारी के द्वारा तैयार नहीं किया गया है उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट-1 पेज 41 , आर.आर.टी. 2021 पार्ट-1 पेज 469 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनांक 26.08.2010 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए व स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाब पेश किया जाना आवश्यक नहीं होना बताये जाने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे नारायण की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.03.2011 को अधिवक्ता वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 की ओर से साक्ष्य वादी बंद करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली मे साक्ष्य वादी बन्द की गई । तत्पश्चात बहस सुनी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की

तहसीलदार गंगरार को उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया। तहसीलदार गंगरार द्वारा फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया । उक्त फर्द बंटवाड़े के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होने व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होने से दिनांक 31.10.2022 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गंगरार से प्राप्त फर्द बंटवाड़े के अनुसार उभय पक्षकारान के मध्य उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण के पिता हीरा व रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। किसी प्रकार का जवाबदावा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांटगण के पिता हीरा की भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होना पाया जाता है। फिर भी अपीलांटगण के पिता हीरा तामील की पालना मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ और न ही वादपत्र का कोई खण्डन किया गया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। तत्पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार गंगरार को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार कमिश्नर के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...नर के द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 के जो नियम बनाये गए है, उक्त नियमो की पालना किये बगैर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का से अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सूचना दिये फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया। उसी फर्द बंटवाडे को तहसीलदार गंगरार कमिश्नर के द्वारा अपने पत्र के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सुने फर्द बंटवाड़ा विधि सम्मत होना मानते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट-1 पेज 61 व आर.आर.टी. 2021 पार्ट-1 पेज 469 इस प्रकरण पर चस्पा होने से व उक्त न्यायिक दृष्टांतो मे पटवारी हल्का को फर्द बंटवाडे के लिये सक्षम नहीं माना गया है व फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने के लिए कमिश्नर स्वयं का कर्तव्य होना माना गया है जिससे पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किये गए फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सुने अंतिम निर्णय पारित की है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 44/2010 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2012 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2011 मे नियुक्त कमिश्नर स्वयं को मौके पर भेजा जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा बंटवाड़े के संबंध मे पारित बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत करे व उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 17.10.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)